

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश  
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-28/2017(खण्ड)  
बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,  
संयुक्त निदेशक (मु०),

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - .....

विषय:-

समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑगनबाडी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश मद में रु. 81431.78/- लाख (रु. आठ सौ चौदह करोड़ एकतीस लाख अठठतर हजार), राज्यांश मद में रु. 25079.97/- लाख (रु. दो सौ पचास करोड़ उन्नासी लाख सनतान्वे हजार) एवं राज्य स्कीम मद में रु. 14520.00/- लाख (रु. एक सौ पैतालीस करोड़ बीस लाख) यानी कुल रु. 121031.75/-लाख (रु. एक हजार दो सौ दस करोड़ एकतीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5724 दिनांक-27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.17, पत्रांक 1108 दिनांक 16.03.18, पत्रांक 5781 दिनांक 14.12.18 एवं भारत सरकार के पत्र सं०- 14-4/2018-CD.II (e-66710) दिनांक 25.03.2019 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातु महिलाओं में कुपोषण दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 256/वि० दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 81431.78/- लाख (रु. आठ सौ चौदह करोड़ एकतीस लाख अठठतर हजार), राज्यांश राशि रु. 25079.97/- लाख (रु. दो सौ पचास करोड़ उन्नासी लाख सनतान्वे हजार) एवं राज्य स्कीम में रु. 14520.00/- लाख (रु. एक सौ पैतालीस करोड़ बीस लाख) यानी कुल रु. 121031.75/- लाख (रु. एक हजार दो सौ दस करोड़ एकतीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

क्र.	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विषय शीर्ष	योजना उदव्यय	(राशि लाख में) स्वीकृत राशि
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि					
1	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020222)	60:40/ 25:75	9281	0222.01.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 02.01, 05.01, 06.01, 11.01, 13.01, 13.02, 13.06, 13.10, 14.01, 16.01, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02, 52.01	85415.65	28187.16
2	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन०एन०एम० (ISSNIP सहित) (51-2235021020225)	60:40/ 80:20	1202	0225.02.01, 13.01, 13.10, 20.02, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02	19816.52	6539.45
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-सामान्य (51-2236021010203)	50:50	9281	0203.21.03	75836.17	25025.94
4	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-विशेष घटक (51-2236027890204)	50:50	9281	0204.21.03	52091.04	17190.04
5	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन (51-2235021030219)	60:40	9226	0219.31.06	5228.74	1725.48

-2-

6	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030225)	60:40	3534	0225.31.06	2213.40	730.42
7	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0) (51-2235021020224)	60:40/ 50:50	9200	0274.20.03, 21.03	3018.78	996.20
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मत, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51-4235021020208)	75:25/ 60:40	9281	0208.27.01, 53.01	3082.70	1017.29
9	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020226)	60:30:10	1177	0226.31.06	60.00	19.80
<b>योग:-1 (रु. आठ सौ चौदह करोड़ एकतीस लाख अठहतर हजार)</b>						<b>81431.78</b>

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि

10	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020322)	60:40/ 25:75	9281	0327.01.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 02.01, 05.01, 06.01, 11.01, 13.01, 13.02, 13.06, 13.10, 14.01, 16.01, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02, 52.01	25324.52	8357.09
11	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020325)	60:40/ 80:20	1202	0325.02.01, 13.01, 13.10, 20.02, 20.03, 21.01, 26.01, 28.02	3303.00	1089.99
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-विशेष घटक (51-2236027890301)	50:50	9281	0304.21.03	37542.43	12389.00
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-जनजातीय (51-2236027960305)			0305.21.03	7550.00	2491.50
14	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0)-सामान्य (51-2235021020324)	60:40/ 50:50	9200	0324.20.03, 21.03	699.74	230.91
15	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0)-विशेष घटक (51-2235027890312)	50:50		0312. 21.03	233.24	76.97
16	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030325)	60:40	3534	0325.31.06	131.00	434.61
17	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020326)	60:30:10	1177	0326.31.06	3.00	9.90
<b>योग:-2 (रु. दो सौ पचास करोड़ उनासी लाख सन्तान्वे हजार)</b>						<b>25079.97</b>

राज्य स्कीम (राज्यांश सहित)

18	आँगनबाड़ी सेवाएँ (आईसीडीएस) (स्थापना) (51-2235021020327)	00:100	9281	0327.01.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 02.01, 05.01, 06.01, 11.01, 13.01, 13.02, 13.06, 14.01, 28.02, 37.01, 52.01	23510.88	9410.57
19	आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-सामान्य (51-2235021020417)	0:100		0117.34.01	10674.84	3522.70
20	आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-विशेष घटक (51-2235027890103)			0103.34.01	3558.78	1174.23
21	समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम हेतु MIS (51-2235021020105)	0:100		0105.28.02	1250.00	412.50
<b>योग:-3 (रु. एक सौ पैंतालीस करोड़ बीस लाख)</b>						<b>14520.00</b>

कुल (योग 1+2+3): (रु. एक हजार दो सौ दस करोड़ एकतीस लाख पचहत्तर हजार)

121031.75

2. एकीकृत राशि में निकासी एवं व्ययन हेतु आई सी डी एस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेख पदाधिकारी, आई.सा.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

-3-

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3/58/वि० दिनांक 31.05.17, पत्रांक 3/8.11.0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 256/वि० दिनांक 26.02.2019 एवं समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 19/वि० पर दिनांक 03.04.2019 को आरि.स. वित्तीय सहायकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण एवं महालेखाकार तथा नियंत्रण पदाधिकार को समर्पित करने एवं इस राशि का व्यय क्वॉरंटर की मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 19/वि० पर दिनांक 03.04.2019 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह बाल योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-


(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

पत्रांक 3/यो०-28/2017(खण्ड)

23 /दिनांक 04.19

**प्रतिलिपि** महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस., निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०वी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़ाथ प्रेषित।

  
 संयुक्त निदेशक (मु०)